दां.प्रकी.(जमा.) 4337/2004

07.12.2004

माननीय न्यायाधिपति श्री कृष्ण कुमार

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री विजय राजपुरोहित,
जन अभियोजक श्री अशोक उपाध्याय उपस्थित।

योग्य अभिभाषक अभियुक्त-प्रार्थी का तर्क है कि अभियोक्त्री काली की उम्र 18-19 साल बताई है जो बालिग है। चार माह से अधिक अरसे तक अभियुक्त के साथ रही हैऔर नाता किया है। उसके शपथ-पत्र की ओर भी ध्यान आकर्षित किया है। अभियुक्त द्वारा कोई बलात्कार नहीं किया गया है, अभियोक्त्री पत्नी की हैसियत से उसके पास रही है। अत: अभियुक्त-प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने की इस्तदुआ की गई।

योग्य जन अभियोजक ने प्रार्थना-पत्र पर एतराज किया।

मेरे द्वारा दोनों पक्षों के तर्को पर विचार किया गया एवं शपथ-पत्रों व बयानो का अवलोकन किया किया। अभियोक्त्री की उम्र बालिग बताई गई है जो चार-पांच माह तक अभियुक्त के साथ रहना बताया गया है। बिना गुणावगुण पर राय दिए कि आया अभियोक्त्री ने नाता किया अथवा नहीं, यह ट्रायल के दौरान देखा जाएगा, प्रकरण में आई परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त-प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने के मैं उचित आधार पाता हूं।

अत: यह प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि गिरधारी लाल पुत्र कालू रेगर योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जावे, उपस्थिति हेतु, बीस हजार रूपए का बन्ध-पत्र एवं दस-दस हजार

रूपए की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(न्यायाधिपति कृष्ण कुमार)

जी.एन.शर्मा